AGR DISPUTE LEAVES CABLE INDUSTRY AWAITING POLICY CLARITY

India's cable television sector remains in regulatory limbo as the government has yet to respond to industry representations over disputed licence fee demands linked to ISP licences.

The cable industry, represented by All India Digital Cable Federation (AIDCF), has sought urgent intervention from the Ministry of Communications regarding licence fee demands raised under the Department of Telecommunications (DoT). The federation wrote to the government on 1 July 2025 and again on 22 September 2025, requesting the withdrawal of what it describes as erroneous licence fee claims on cable television revenues under ISP licences. The industry says it has yet to receive any formal response.

According to AIDCF, DoT has raised retrospective demands under the Adjusted Gross Revenue (AGR) framework by including revenues from cable television services in the calculation of ISP licence fees. The federation argues that such inclusion is inconsistent with the established regulatory separation between telecom and broadcasting sectors.

Cable TV services in India are governed under the Cable Television Networks (Regulation) Act, 1995 and regulated by the Ministry of Information and Broadcasting. AIDCF has pointed to a clarification issued by the ministry in February 2021 stating that cable TV revenues should not be clubbed with ISP revenues for licence fee computation.

Industry representatives say that multi-system operators (MSOs) holding ISP licences have historically paid licence fees based only on internet service revenues, maintaining separate accounting for their cable and broadband businesses. They argue that retrospective inclusion of cable revenues contradicts earlier policy positions and regulatory practices.

The federation also highlighted that telecom reforms announced in 2022 introduced the concept of applicable gross revenue and prospectively exempted non-telecom revenues from licence fee calculations. However, legacy demands raised before these reforms, along with associated penalties and interest, remain unresolved.

For the cable industry, which plays a key role in last-mile broadband connectivity across urban and semi-urban India, the continued uncertainty is raising concerns over financial sustainability and investment planning. Industry stakeholders say a clear policy decision is urgently needed to prevent further strain on operators and ensure the continued expansion of digital infrastructure under the government's Digital India vision.■

एजीआर विवाद के कारण केबल उद्योग को नीति स्पष्टता का इंतजार

भारत का केबल टीवी क्षेत्र अभी भी रेगुलेटरी उलझन में है क्योंकि सरकार ने अभी तक आईएसपी लाइसेंस से जुड़ी विवादित लाइसेंस शुल्क मांगों पर उद्योग के प्रतिनिधित्व का जवाब नहीं दिया है।

केबल उद्योग, जिसका प्रतिनिधित्व ऑल इंडिया डिजिटल केबल फेडरेशन (एआईडीसीएफ) कर रहा है, ने संचार विभाग (डॉट) के तहत उठाई गयी लाइसेंस शुल्क की मांगों के बारे में संचार मंत्रालय को तुरंत दखल देने की मांग की है। फेडरेशन ने **1** जुलाई **2025** और फिर **22** सितंबर **2025** को सरकार को लिखा, जिसमें आईएसपी लाइसेंस के तहत केबल टेलीविजन राजस्व पर गलत लाइसेंस शुल्क के दावे को वापस लेने का अनुरोध किया गया। उद्योग का कहना है कि उसे अभी तक कोई औपचारिक जवाब नहीं मिला है।

एआईडीसीएफ के मुताबिक डॉट ने आईएसपी लाइसेंस शुल्क की गणना में केबल टेलीविजन सेवा से होने वाले राजस्व को शामिल करके एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू (एजीआर) फ्रेमवर्क के तहत पिछली तारीख से मांग उठाई है। फेडरेशन का तर्क है कि इस तरह शामिल करना टेलीकॉम और ब्रॉडकास्टिंग क्षेत्र के बीच तय रेगुलेटरी अलगाव के खिलाफ है।

भारत में केबल टीवी सेवा केबल टेलीविजन नेटवर्क (रेगुलेशन) एक्ट **1995** के तहत आती है और आईएंडबी मंत्रालय इसे रेगुलेट करता है। एआईडीसीएफ ने फरवरी **2021** में मंत्रालय द्वारा जारी एक स्पष्टीकरण की ओर इशारा किया है जिसमें कहा गया है कि लाइसेंस शुल्क गणना को केबल टीवी राजस्व को आईएसपी राजस्व के साथ नहीं जोड़ा जाना चहिए।

उद्योग के प्रतिनिधियों का कहना है कि आईएसपी लाइसेंस रखने वाले मल्टी सिस्टम ऑपरेटर (एमएसओ) पहले से सिर्फ इंटरनेट सेवा राजस्व के आधार पर लाइसेंस शुल्क देते रहे हैं और अपने केबल और ब्रॉडबैंड बिजनेस के लिए अलग–अलग अकाउटिंग रखते हैं। उनका तर्क है कि केबल राजस्व को पिछली तारीख से शामिल करना पहले की नीति की स्थिति और नियामक तरीकों के उलट है।

फेडरेशन ने यह भी बताया कि **2022** में घोषित टेलीकॉम सुधारों ने समग्र राजस्व का मसौदा पेश किया और आगे चलकर गैर दूरसंचार राजस्व को लाइसेंस शुल्क गणना से छूट दी गयी। हालांकि, इन सुधारों से पहले उठायी गयी पुरानी मांगे, साथ ही उनसे जुड़ी पेनेल्टी और ब्याज अभी भी अनसुलझे हैं।

केबल उद्योग, जो शहरी और छोटे–छोटे शहरों में लास्ट माइल ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी में अहम भूमिका निभाती है, उनके लिए लगातार अनिश्चितता वित्तीय निर्भरता और निवेश योजना को लेकर चिंता बढ़ी है। उद्योग के हितधारकों का कहना है कि ऑपरेटरों पर और दबाव न पड़े और सरकार के डिजिटल इंडिया विजन के तहत डिजिटल संरचना का लगातार विस्तार पक्का करने के लिए एक साफ नीति फैसले की तुरंत जरूरत है।■